

**कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभियान, वैशाली
न्यायालय, लोकपाल, मनरेगा,
जिला—वैशाली।**

दिनांक	शिकायत पत्र संख्या 56/13-14 में पारित आदेश की प्रतिलिपि	अभ्युक्ति
10 SEP 09.01.2013 मनरेगा द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है।	<p>यह बाद श्री हेमन्त कुमार, निवास—मुहल्ला, जगदीशपुरी, पो-०—रमना, मिठनपुरा जिला—मुजफ्फरपुर स्थायी निवासी, ग्राम पंचायत—जारंग रामपुर, प्रखण्ड—पटेढी बेलसर, जिला—वैशाली द्वारा डाक से प्राप्त दिनांक 08.03.14 के आवेदन—पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत पत्र में लगाये गये आरोप निम्न हैं।</p> <p>ग्राम पंचायत जारंग रामपुर, प्रखण्ड—पटेढी बेलसर, जिला—वैशाली स्थित डाकघर, के डाकपाल श्री मदन मोहन सिंह द्वारा जालसाजी कर जॉबकार्ड होल्डर के पैसा की निकासी की गयी है। ग्राम पंचायत में लगभग दो हजार लोगों का जॉब कार्ड बनवाया गया, जबकि मनरेगा कार्य में शिकायतकर्ता 162 जॉबकार्ड होल्डर को ही फर्जीबाड़ा/जालसाजी कर लगातार चार वित्तीय वर्षों में मनरेगा कार्य में मजदूरी के काम पर दिखाया गया है, लेकिन किसी ने कभी कोई मजदूरी नहीं किया है।</p> <p>शिकायतकर्ता का आगे यह भी कहना है कि पोस्ट ऑफिस से इनके नाम पर वित्तीय वर्ष २००९-१०, २०१०-११, २०११-१२ एवं २०१२-१३ में लगभग ढेढ़ करोड़ की निकासी हुई। डाकपाल मदन मोहन सिंह द्वारा कोई भी सरकारी कल्याणकारी योजना जिसका डाकघर से भुगतान होना चाहिए उसमें बिना कमीशन के कोई भुगतान नहीं किया जाता है। इनके द्वारा गैर अनुप्राप्तिक ढंग से संप्रति का अर्जन किया गया है, इत्यादि।</p>	
10 SEP 09.01.2013 मनरेगा द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है।	<p>शिकायतकर्ता के शिकायत—पत्र के संबंध में पंचायत रोजगार सेवक से कारण पृच्छा की मांग की गयी साथ ही विगत चार वित्तीय वर्षों में मजदूरी भुगतान किये गये मजदूरों के मस्टर रॉल एवं एडवाइस उपलब्ध कराने की मांग की गयी। श्री मदन मोहन सिंह, शाखा डाकपाल, डाकघर—जारंग रामपुर से कारण पृच्छा की मांग की गयी तथा मनरेगा बेवसाइट से कुछ मजदूरों के खाता सं० को प्राप्त कर उनके डाकखाते से निकासी का व्योरा उपलब्ध कराने की मांग की गयी।</p> <p>श्री मदन मोहन सिंह, डाकपाल, जारंग रामपुर, निवासी—मुहल्ला गन्नीपुर टोला, थाना—काजी मुहम्मदपुर, जिला—मुजफ्फरपुर ने अपने कारण पृच्छा में बताया कि मेरे ऊपर उनके द्वारा जो आरोप लगाये गये हैं वह बेबुनियाद एवं निराधार है। प्रश्नगत शिकायतकर्ता श्री हेमन्त कुमार मेरे ग्रामीण है तथा कठिपय कारणों से मुझे मानसिक/आर्थिक रूप से प्रताड़ित करते रहे हैं। जिसका विवरण निम्नवत् है।</p>	
10 SEP 09.01.2013 मनरेगा द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है।	<p>(क) मेरे बच्चे की शादी में शिकायतकर्ता द्वारा मुझे धमकी दी गयी कि उस लड़की से शादी नहीं करें। जिसका मेरे द्वारा प्रतिरोध करते हुए बेलसर ओ०पी०, वैशाली में एस०डी०ई० सं० 263/13 दिनांक 15.08.13 दर्ज कराते हुए जान—माल के सुरक्षा की मांग की गयी।</p> <p>(ख) मेरे द्वारा श्री हेमन्त कुमार के विरुद्ध काजी मोहम्मदपुर, थाना—मुजफ्फरपुर में घेरकर मारपीट करने एवं रंगदारी में रूपया मांगने के संबंध में कांड सं० 459/13 दिनांक 14.11.2013 भी अंकित कराया गया है। जिसमें संविधान की धारा 341/384/387/34 के तहत न्यायिक प्रक्रिया चल रही है।</p> <p>(ग) श्री हेमन्त कुमार को तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले में भी कार्रवाई किया गया है।</p>	
10 SEP 09.01.2013 मनरेगा द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जाता है।	<p>उक्त घटना की छायाप्रति तस्वीर संलग्न करते हुए बताया गया है कि दिनांक 28.12.2012 के प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित थाना मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, पुलिस द्वारा लड़की से छेड़खानी के मामले में पकड़कर शहर में घुमाया जा रहा है।</p> <p>उपरोक्त सभी कांड से संबंधित संलग्न किये गये प्राथमिकी की छायाप्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि काजी मुहम्मदपुर थाना, मुजफ्फरपुर में अंकित कांड सं० 459/2013 माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में लंबित है।</p>	

डाकपाल श्री मदन मोहन सिंह द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, सरकार के पत्रांक 945, दिनांक 26.04.05 को संदर्भित करते हुए बताया गया कि शिकायतकर्ता श्री हेमन्त कुमार द्वारा आरोपों को प्रमाणित करने के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराने सहित माननीय न्यायालय द्वारा शपथ-पत्र उपस्थापित करने के पश्चात् ही जांच कार्य प्रारम्भ करने के स्पष्ट प्रावधान के तहत ही जांच कार्य प्रारम्भ किया जाये।

शिकायतकर्ता से शिकायत पत्र से संबंधित शपथ-पत्र तथा तथ्यों के साक्ष्य उपलब्ध कराने की मांग की गयी। शिकायतकर्ता द्वारा कोई शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही शिकायत से संबंधित कोई साक्ष्य या कोई अन्य कागजात प्रस्तुत किया गया। सुनवाई की अन्य तिथियों पर भी शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुए और न ही स्मारित किये गये पत्रों का कोई जबाब दिये।

डाकपाल श्री मदन मोहन सिंह द्वारा मजदूरों के मजदूरी भुगतान से संबंधित डाकघर के विभिन्न खाताओं की निकासी का व्योरा प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत व्योरे में बताया गया कि मेरे डाकघर की शाखा में मनरेगा का कुल 701 खाता खोला गया था एवं जॉबकार्ड धारी प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर या निशान लेने के पश्चात् ही पासबुक दिया गया है। मजदूरों द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से 2013–14 तक के पाँच वर्षों में कुल 1886411.00 रुपये का निकासी किया गया है। मजदूरों के मजदूरी निकासी के समय प्रत्येक निकासी प्रपत्र पर पंचायत रोजगार सेवक के पहचान के उपरान्त ही भुगतान किया गया है। उन्होंने शिकायत पत्र के आरोप को बिल्कुल शत-प्रतिशत गलत एवं असत्य बताया है। डाकपाल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विभिन्न खाताओं से विभिन्न तारीखों में छोटी-छोटी राशि का निकासी किया गया है। जमा राशि को छोटे-छोटे रूप में अनेक किस्तों में समय के अन्तराल के साथ निकासी किया गया है। जिससे किसी खाते की निकासी में अनियमितता कर एक समय में बड़ी राशि प्राप्त किये जाने का कोई संकेत प्राप्त नहीं होता है। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड –पटेढ़ी बेलसर से शिकायत से संबंधित भुगतान हेतु मस्टर रॉल एवं उनके अभिलेख उपलब्ध कराने की मांग की गयी। उक्त संदर्भ में पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मनरेगा योजनाओं के सत्र 2009–10 से 2013–14 तक की कुछ योजनाओं के मस्टर रॉल, एडवाइस बिल एवं डाकघर को जारी किये गये चेक की छायाप्रति प्रस्तुत किया। पंचायत रोजगार सेवक द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः 95,74,84 तथा 168 मजदूरों द्वारा कार्य किये गये हैं। जबकि शिकायतकर्ता द्वारा 2009–10 से 2012–13 तक के पूरे चार वर्षों में मात्र 167 मजदूरों द्वारा ही मनरेगा कार्य किया जाना बताया गया है।

पंचायत रोजगार सेवक ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि मनरेगा काम आधारित डिमान्ड योजना है। जिसके अन्तर्गत जो मजदूर काम की मांग आवेदन के अनुरूप करता है उसी को काम दिया जाता है। अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिन मजदूरों ने काम की मांग की है उन्हीं को रोजगार मुहैया कराया गया है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में प्रत्येक वित्तीय वर्ष का मनरेगा बेबसाईट पर अपलोड किया हुआ ग्राम पंचायत में उत्सर्जित रोजगार दिवस प्रतिवेदन की प्रति प्रस्तुत की है। आगे उन्होंने यह बताया है कि पिछले चार वित्तीय वर्षों 2009–10, 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में मजदूरों को मजदूरी राशि में क्रमशः 124,615/, 470,942/, 278,782 एवं 5,38174/- रुपये की कुल 14,12,513.00 (चौदह लाख बारह हजार पाँच सौ तेरह रूपये) की राशि का मजदूरी भुगतान शाखा डाकघर जारंग रामपुर द्वारा किया गया है। उक्त संबंध में शाखा डाकघर जारंग रामपुर द्वारा जारी किया गया प्रतिवेदन साथ संलग्न है। उन्होंने शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र में उक्त शिकायत को बेबुनियाद बताया है जिसमें उक्त चारों वित्तीय वर्षों में डेढ़ करोड़ रुपये की निकासी का आरोप लगाया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराने एवं स्वयं या उनके कोई प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने के कारण विभागीय प्रतिवेदन को सत्य नहीं मानने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

दिनांक 23.06.14 को मेरे द्वारा ग्राम पंचायत का स्थल भ्रमण भी किया गया। मेरे स्थल भ्रमण के दौरान डाकपाल मदन मोहन सिंह, ने बताया कि शिकायतकर्ता एक अपराधी व्यक्ति है। उनके द्वारा लगाये गये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद एवं निराधार है। मेरे स्थल भ्रमण के दौरान मजदूरी

प्राप्त किये मजदूरों से बातचीत की गयी। उपलब्ध किये गये एडवाइस तथा मस्टर रॉल में अंकित मजदूरों से उनके द्वारा किये गये कार्य एवं मजदूरी भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। ग्राम पंचायत में स्थल भ्रमण किये जाने के दौरान मजदूरों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा शिकायत नहीं की गयी है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में लिखित व्यान भी प्रस्तुत किये। स्थल भ्रमण के दौरान ही एक अन्य जॉब कार्डधारी मनरेगा मजदूर श्री सुरेन्द्र ओझा पिता— सहदौन ओझा जॉबकार्ड सं० BH-16-007-009-01879900/1993 द्वारा बताया गया कि दिसम्बर 13 से मार्च 14 तक 70 दिनों का तथा अप्रैल 14 से मई 14 तक 35 दिनों का उनका मजदूरी भुगतान बाकी है तथा उपस्थिति पत्र पर निशान भी नहीं लिया गया है।

पंचायत रोजगार सेवक को आदेश दिया जाता है कि उक्त मजदूर को 15 दिनों के अन्दर मजदूरी की लंबित राशि प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करें। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी पटेढ़ी बेलसर तथा पंचायत रोजगार सेवक जारंग रामपुर करायेंगे। अनुपालन प्रतिवेदन तीन सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

शिकायतकर्ता ने डाकपाल द्वारा वृद्धावस्था पेशनघारियों के पेशन भुगतान में कमीशन काटे जाने के संबंध में तथा गैर अनुपातिक ढंग से सम्पति अर्जन कर विभिन्न बैंकों में इनके बैंक खाते होने की बात बतायी है। चूंकि शिकायतकर्ता कभी उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी प्रकार का साक्ष्य या कोई कागजात उपलब्ध कराये और न ही भेजे गये पत्रों का कोई जबाब दिया है। उक्त आरोप मनरेगा से संबंधित भी नहीं है। अतः इसकी जांच किया जाना यथोचित प्रतीत नहीं होता है। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त संबंध में किसी सक्षम एजेन्सी या माननीय न्यायालय से इसकी जांच हेतु आवेदन किया जा सकता है।

इन्हीं निष्कर्ष के साथ इस बाद का निष्पादन किया जाता है।

हस्ताक्षर
लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक ८/५३ / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक ८/९/१५

प्रतिलिपि: मुखिया, ग्राम पंचायत— जारंग रामपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। पंचायत रोजगार सेवक ग्राम पंचायत— जारंग रामपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखण्ड— पटेढ़ी बेलसर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

लोकपाल, अनंगन
वैशाली।

ज्ञापांक ८/५३ / अभिकरण, हाजीपुर दिनांक ८/९/१५

प्रतिलिपि: शिकायतकर्ता श्री हेमन्त कुमार, महुल्ला— जगदीशपुरी, पो०—रमना, भिठनपुरा, जिला— मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक / अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, वैशाली को सूचनार्थ।

(9)

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक /अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक
प्रतिलिपि: जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह— जिला पदाधिकारी, वैशाली को सादर सूचनार्थ।

लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।

ज्ञापांक २५३ /अभिकरण, हाजीपुर, दिनांक ८/९/५

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

~~लोकपाल, मनरेगा
वैशाली।~~